(215)

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी/निदेशक महोदय,
भारतीय जीव संस्थान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवश्यक सूचना हेतु।

महोदय,

प्रार्थी को नीचे लिखी निम्न सूचनायें प्रदान करने का कष्ट करें, जो कि आपके पत्र सं0 A/2-2007 WLL(Vol. IX : 2005-16) के संदर्भ में सम्मिलित होंगी।

1. आपके उत्तर 2 में बताया गया है कि रिजर्व बताया गया है कि रिजर्व फोरेस्ट ने 188.82 एकड़ भूमि वन्य प्राणी शोध के लिये दे रखी है अर्थात वन्य प्राणी शोध प्रयोग में ला रहा है।

   क्या उक्त 188.82 एकड़ भूमि की बाबत आपके विभाग (भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा रिजर्व फोरेस्ट को कितनी धनराशि अथवा कोई लाभ दिया गया अथवा नहीं ?

2. बिल्डिंग एवं सड़क 13.13 एकड़ एवं खेल का मैदान 18.43 एकड़ कुल भूमि 31.56 एकड़ गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 20.38 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर आपके विभाग को दी गई, यानि 31.56 एकड़ – 20.38 एकड़ = 11.18 एकड़ अधिक भूमि किस आधार पर प्रयोग में लाई जा रही है ?

3. गजट नोटिफिकेशन से ज्यादा भूमि आपके विभाग द्वारा छोड़ने अथवा उसे नोटिफिकेशन से पहले की स्थिति में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ? अथवा दून हाउसिंग प्रा0 लि0 के नाम दर्ज होगी।

4. जो भूमि रिजर्व फोरेस्ट द्वारा 188.82 एकड़ भूमि की एवज में कोई आपके विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया अथवा नहीं ? क्यों न अतिरिक्त भूमि 188.82 एकड़ भूमि का मुआवजा आपका विभाग दून हाउसिंग प्रा0 लि0 को अदा करे ?

महोदय उक्त प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। 10/– रूपये का पोस्टल आर्डर संलग्न कर रहा हूं। यदि नियमानुसार और धनराशि जमा कराने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी उसे अदा करने के लिये तैयार है।

धन्यवाद।

DWII OFFICE
DIARY NO. 1509
DATE 06/07/15

दिनांक : 04–07–2015

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 1 Qtr. 2 Year 2015-16
Fee 10/- Inward Date 6/7/15

प्रार्थी,
(रजत कुमार)
12/3 भण्डारी बाग,
देहरादून।
मो0 09837838107